राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या–75 (लो0सू0अ0)/2022–23

डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा, 4/ए, शकुन्तला गार्डेन, पुनाईचक, जिला–पटना

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.12.2022	डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा, 4/ए, शकुन्तला गार्डेन, पुनाईचक, जिला–पटना के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–23.12.2022 इस कार्यालय में दिनांक–26.12.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 825503 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–25.11.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–25.11.2022 की प्रति संलग्न नहीं किया है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–25.11.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अपीलार्थी से प्रपत्र 'क' दिनांक–25.11.2022 की छायाप्रति की मॉग करे। अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–06.01.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 27/12/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–75 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
06.01.2023	दिनांक–17.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। इसी प्रकार अपीलार्थी से भी प्रपत्र 'क' की छायाप्रति प्राप्त है। अपीलार्थी द्वारा प्रपत्र 'क' दिनांक–24.11.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना की मॉग की गई थीः– *"अपीलार्थी से संबंधित अपीलवाद संख्या–55 / 2022–23 की छायाप्रति (अनुलग्नक संख्या–1) के रूप में संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इस अपील से संबंधित संचिका के टिप्पणी तथा पत्राचार भाग के पृष्ठों की अभिप्रमाणित छायाप्रति Whistle Blowers Protection Act, 2011, लोकहित तथा राज्य हित में, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में विहित प्रावधानों के अधीन उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जाय।"* उपर्युक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–आर॰टी॰आई॰ / टी॰एम॰बी॰यू॰–261 रा॰स॰(I) दिनांक–05.12.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना का प्रेषण अपीलार्थी को किया थाः– *"आपके आवेदन दिनांक–25.11.2022 का प्रपत्र (इस सचिवालय की आई॰डी॰सं॰–119 दिनांक–30.11.2022) सूचना की मॉग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।* *आपके द्वारा मॉगी गई सूचना संलग्न कर भेजी जा रही है।* *विदित हो कि सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर प्रायः कोई टिप्पणी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती, अपितु वांछित सूचना से संबंधित दस्तावेज अथवा जबाव / उत्तर आवेदक को उपलब्ध कराया जाता है।"* विदित हो कि अपीलवाद में की जाने वाली कार्रवाई वाद अभिलेख के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है तथा इस पर तिथिवार दिए गए आदेश की छायाप्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना पदाधिकारी को भेजी जाती है। अपीलवाद संख्या–55 / 2022–23 में भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा तिथिवार (दिनांक–28.10.2022 एवं 15.11.2022) को की गई कार्रवाई की सूचना अपीलार्थी को इस सचिवालय के पत्रांक–1376 दिनांक–01.11.2022 तथा1473 दिनांक–16.11.2022 के माध्यम से क्रमशः भेजी गई है। उन्होंने अपने प्रपत्र 'क' में इसका उल्लेख भी किया है। इसमें कोई संचिका के माध्यम से कार्रवाई नहीं की जाती है या कोई टिप्पणी अंकित की जाती है। इस तरह लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कोई भी सूचना दिया जाना शेष नहीं है। अपीलार्थी द्वारा मॉगी गई सूचना के विरूद्ध लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना समुचित एवं पूर्ण है। अतः इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें। 6/1/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	